बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक यो04/एम0पी0लैड्स–38/2013 4102 /यो0वि0 दिनांक 11 सितम्बर, 2014

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिन्हा,
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार

विषयः **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में शौचालय निर्माण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या फा0सं0सी–16/2014–एम0पी0लैड्स जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में शौचालय निर्माण हेतु प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में है, की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः **यथोक्त।**

10/9/14

(अखिलेश कुमार सिन्हा)
संयुक्त निदेशक

राव इंद्रजीत सिंह
RAO INDERJIT SINGH

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
योजना मंत्रालय
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और
रक्षा राज्य मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली–110001
Minister of State (Independent Charge) for
Ministry of Planning
Ministry of Statistics and
Programme Implementation and
Minister of State for Defence
Government of India, New Delhi-110001

सत्यमेव जयते

फा.सं.सी-16/2014-एमपीलैड्स

प्रिय महोदय/महोदया,

1. दिनांक 15 अगस्त, 2014, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि:

"एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ और वह है- हिन्दुस्तान के सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ कर भागेंगी नहीं । हमारे सांसद जो एमपीलैड फंड का उपयोग कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि एक साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए । सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे । मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर्स का भी आह्वान करना चाहता हूँ कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, उसमें आप स्कूलों में टॉयलेट बनाने को प्राथमिकता दीजिए ।"

2. जैसाकि आपको ज्ञात होगा, एमपीलैड्स के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों तथा स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं में शौचालयों का निर्माण करने की अनुमति है । दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के अंतर्गत, जहां निधियां आधारी संरचना तथा जनोपयोगी निर्माण कार्यों के लिए दी जाती हैं, न्यासों तथा सोसाइटियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं

पृष्ठ 2/--

101, Sardar Patel Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001
Tel: 011-23367245, 23340739, 23340884, Fax: 011-23340138
Residence: 6, Lodhi Estate, New Delhi-110003

में शौचालयों के निर्माण की भी अनुमति प्रदान की गई है । इसके अलावा, केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन (दिशानिर्देशों के पैरा 3.39) से संबंधित स्कूलों में डीआरडीओ द्वारा विकसित बायो-डाइजेस्टरों की भी अनुमति है । इसके अतिरिक्त, एमपीलैड्स निधियों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है तथा इसका केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं में केन्द्रीय और राज्य के हिस्से की निधियों को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है (दिशानिर्देशों के पैरा 3.17 तथा 3.18) ।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगले एक वर्ष के दौरान स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

सादर,

आपका,

(इन्द्रजीत सिंह)

सभी माननीय संसद सदस्य

प्रतिलिपि:

(1) सभी जिला प्राधिकारी, एमपीलैड्स ।

जिला प्राधिकारियों से अनुरोध है कि जब कभी एमपीलैड्स के तहत स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं में कोई आधारी संरचना की सिफारिश की जाती है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्ताव में सदा ही शौचालयों की आवश्यक संख्या शामिल हो ।

सह-शिक्षा स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं के मामले में, लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए ।

(122)

एमपीलैड्स के तहत स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं के लिए आधारी संरचना केवल और केवल यह सुनिश्चित करने के बाद मंजूर की जानी चाहिए कि उस स्कूल/शिक्षण संस्था में आवश्यक संख्या में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हो ।

इसके अलावा, जहां कहीं संभव और उचित हो बायो-डाइजेस्टर शौचालयों के उपयोग को भी अपनाया जाना चाहिए ।

इसके साथ ही, माननीय सांसदों के संदर्भ और उपयोग के लिए शौचालय रहित स्कूलों की सूची तथा लड़कियों के लिए अलग शौचालय रहित सह-शिक्षा स्कूलों की सूची तैयार करके शीघ्र उपलब्ध कराई जाए ।

(2) सभी सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित सभी नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।

देवेन्द्र वर्मा

(देवेन्द्र वर्मा)

उप महानिदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)